

छठवां अध्याय

सरकारी वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ

6.1 सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

6.1.1 प्रस्तावना

राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन 31 मार्च 2002 को छः सरकारी कम्पनियों तथा एक सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) के विरुद्ध 31 मार्च 2003 को छः सरकारी कम्पनियाँ तथा दो सांविधिक निगम (सभी कार्यरत) थे। सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा, (कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित), कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के प्रावधानों के अनुसार इन लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा भी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा व्यवस्था नीचे दर्शाये गये अनुसार है:

क्र.सं.	निगम का नाम	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिये प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	राज्य विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 की धारा 69(2)	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डागार निगम	राज्य भण्डागार अधिनियम 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा

सभी सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के विवरण परिशिष्ट XLVIII, XLIX, L में दिये गये हैं।

6.1.2 कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

मार्च 2002 एवं मार्च 2003 की समाप्ति पर क्रमशः सात कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छः सरकारी कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) तथा आठ कार्यरत

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष हेतु प्रतिवेदन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (छः सरकारी कम्पनियों और दो सांविधिक निगमों) में कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश			
		इक्विटी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2001-02	7 ⁵⁴	3.40	1.00	1.00	5.40
2002-03	8	10.94	0.50	34.57	46.01


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का विश्लेषण निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

मार्च 2003 तथा मार्च 2002 के अंत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश (इक्विटी और दीर्घावधि ऋण) तथा उनका प्रतिशत नीचे दिये गये पाई चार्टों में दर्शाये गये हैं-

31 मार्च 2003 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

(कोष्ठकों के आँकड़े निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)


(करोड़ रुपये में)



31 मार्च 2002 को कार्यरत सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों में क्षेत्रवार निवेश

(कोष्ठकों के आंकड़े निवेश का प्रतिशत दर्शाते हैं)

(करोड़ रुपये में)



6.1.3 कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ

क्रमशः मार्च 2002 और मार्च 2003 के अंत में छः कार्यरत सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश निम्नानुसार था:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कम्पनियों की संख्या	कार्यरत सरकारी कम्पनियों में निवेश			
		इक्विटी	अंश परायणता धन	ऋण	योग
2001-02	6 ⁵⁵	3.40	1.00	1.00	5.40
2002-03	6	10.94	--	33.75	44.69

इन कम्पनियों में इक्विटी और ऋण के रूप में सरकारी निवेश की संक्षिप्त स्थिति के विवरण परिशिष्ट - XLVIII में वर्णित हैं।

31 मार्च 2002 को 81 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 19 प्रतिशत ऋण की तुलना में 31 मार्च 2003 को सरकारी कम्पनियों में कुल निवेश, क्रमशः- 24 प्रतिशत इक्विटी पूँजी तथा 76 प्रतिशत ऋण था। 2002-03 में ऋण तथा इक्विटी ऋण अनुपात 3.08:1 था।

⁵⁵

छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित में निवेश से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

6.1.4 कार्यरत सांविधिक निगम

कार्यरत सांविधिक निगमों में, क्रमशः मार्च 2002 और मार्च 2003 की समाप्ति पर कुल निवेश निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

निगम का नाम	2001-02		2002-03	
	पूँजी	ऋण	पूँजी	ऋण
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारागार	--	--	0.50	0.82
योग	--	--	0.50	0.82

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के मध्य सम्पत्तियों और देयताओं का बटवारा न होने के कारण एक कार्यरत सांविधिक निगम अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में मार्च 2002 एवं मार्च 2003 के अन्त में कुल निवेश की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

कार्यरत सांविधिक निगमों में इक्विटी और ऋण के रूप में निवेश का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-XLVIII में वर्णित है।

6.1.5 बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, गारन्टियाँ, देयताओं की माफी और ऋणों का इक्विटी में परिवर्तन

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में बजटीय व्यय, अनुदान/सहायता, जारी गारन्टियाँ, देयताओं की माफी तथा सरकार द्वारा ऋणों को इक्विटी में परिवर्तन सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-XLVIII तथा L में दिये गये हैं।

2002-03 तक दो वर्षों के लिये बजटीय व्यय (इक्विटी पूँजी तथा ऋण के रूप में) और सरकार द्वारा सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों को अनुदान/सहायता का विवरण नीचे दिया गया :

(करोड़ रुपये में)

	2001-02				2002-03			
	कम्पनियाँ		निगम		कम्पनियाँ		निगम	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
बजट से इक्विटी पूँजी व्यय	3	2.45	--	--	--	--	--	--
बजट से दिये गये ऋण	1	1.00	--	--	1	27.00	--	--
अन्य अनुदान/सहायता	2	6.59	--	--	2	258.19	1	62.87
कुल निर्गम	4⁵⁶	10.04	--	--	3	285.19	1	62.87

6.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 166, 210, 220 और 619, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम की सहपठनीय धारा 19 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये सरकारी कम्पनियों के लेखे सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के अंदर तैयार करना होता है। इन लेखाओं को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ माह की अवधि के अंदर, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत भी करना होता है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के प्रकरण में उनसे संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखाओं को अंतिम रूप देना, लेखा परीक्षण तथा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210(4) के अनुसार, कम्पनी के लेखाओं को, निर्गमन के दिनांक से 18 माह के अंदर कम्पनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करना होता है। तथापि, जैसा कि परिशिष्ट-XLIX से देखा जा सकता है, सभी कम्पनियों के प्रथम लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था (अक्टूबर 2003)।

6.1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं और समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुई लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, जिनका स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता, को प्रतिवेदनों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों तथा शासन के सम्बन्धित विभागों को सूचित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रमुखों को, निरीक्षण प्रतिवेदनों का उत्तर, संबंधित विभाग प्रमुखों के माध्यम से छः

⁵⁶ ये उन कम्पनियों की वास्तविक संख्या है जिन्हें, वर्ष के दौरान, इक्विटी, ऋण, अनुदान और राज्य सरकार से सहायता के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त हुआ है

सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करना होता है। सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित सितम्बर 2003 तक जारी, निरीक्षण प्रतिवेदनों में नवम्बर 2003 के अंत में 385 निरीक्षण प्रतिवेदनों की 971 कंडिकाएँ लम्बित थीं। इनमें से 869 कंडिकाओं से सन्निहित 363 निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर, एक वर्ष से अधिक समय के बाद भी नहीं दिये गये थे। 30 सितम्बर 2003 को लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों का विभाग-वार व्यौरा **परिशिष्ट-LI** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य प्रणाली पर, प्रारूप कंडिकाएँ, तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि और उनपर टिप्पणियाँ, छः सप्ताह के अंदर, भेजने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र भेजे गये हैं। तथापि, **परिशिष्ट-LII** में दिये गये विवरणानुसार विभिन्न विभागों को अगस्त 2003 में भेजी गई सात प्रारूप कंडिकाओं में से केवल एक कंडिका का उत्तर प्राप्त हुआ है (दिसम्बर 2003)।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन यह सुनिश्चित करे कि (क) निरीक्षण प्रतिवेदन/प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का निर्धारित समय-सीमा में उत्तर न भेजने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये प्रक्रिया विद्यमान है। (ख) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली हेतु समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही की जाती है और (ग) लेखा परीक्षा आपत्ति पर प्रतिक्रिया की व्यवस्था का पुनर्गठन किया गया है।

6.1.8 सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) की चर्चा की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य की सार्वजनिक उपक्रम की समिति (कोपू) का गठन अध्यक्ष सहित नौ सदस्य को मिलाकर 17 अप्रैल 2001 को किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य से सम्बन्धित कोई प्रतिवेदन न होने के कारण, सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा संयुक्त मध्यप्रदेश के 1999-2000 तथा 2000-01 हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित, नये राज्य से सम्बन्धित समीक्षाओं/कंडिकाओं को चर्चा के लिये लिया गया।

अक्टूबर 2003 के अंत में सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा के लिये लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) और कंडिकाओं की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

निरीक्षण प्रतिवेदन का वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन के वाणिज्यिक अध्याय में दर्शित समीक्षाओं और कंडिकाओं की संख्या		चर्चा के लिये लम्बित समीक्षाओं और कंडिकाओं की संख्या	
	समीक्षाएँ	कंडिकाएँ	समीक्षाएँ	कंडिकाएँ
1999-2000	2	--	2	--
2000-01	1	--	1	--
2001-02	--	2	--	2
योग	3	2	3	2

6.2 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

सरकारी कम्पनियाँ

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित

6.2.1 बोरों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण परिहार्य भुगतान

बोरों की प्राप्ति पर उनकी गुणवत्ता के परीक्षण में विफलता के कारण 62.71 लाख रुपये मूल्य के अवमानक बोरों के लिए परिहार्य भुगतान।

"एक भरती बोरों" प्राप्ति हेतु, कम्पनी द्वारा निविदायें आमंत्रित की गई (नवम्बर 2001) तथा इस शर्त पर निविदाकार से 14.85 रुपये प्रति बोरा की दर का, समझौता किया गया कि जिला समिति (समिति के सदस्यों में, जिलाधीश, कम्पनी का जिला प्रबन्धन अधिकारी अथवा जिला प्रबन्धक और खाद्य अधिकारी सम्मिलित रहेंगे) द्वारा बोरों की गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा।

कम्पनी द्वारा विभिन्न फर्मों को 15 लाख बोरों की आपूर्ति हेतु बिना किसी गुणवत्ता परीक्षण की शर्त के, क्रय आदेश जारी किये गये (नवम्बर 2001), जिसके विरुद्ध 14.44 लाख बोरे प्राप्त हुये। क्रयादेश के अनुसार बोरों की प्राप्ति पर केवल 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना था तथा शेष 90 प्रतिशत राशि का भुगतान बोरों की गुणवत्ता परीक्षण उपरांत किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2002 एवं जून 2003) कि कम्पनी ने बिना गुणवत्ता परीक्षण के, सभी बोरों का उपयोग कर लिया तथा पूर्ण भुगतान विमुक्त कर दिया। बाद में बोरों की गुणवत्ता की शिकायतों की जाँच के लिये शासन द्वारा गठित समिति ने पाया (दिसम्बर 2001) कि 14.44 लाख बोरों में से 2.01 लाख बोरे उपयोग के लिये उपयुक्त नहीं थे तथा 3.28 लाख बोरे केवल 25 और 75 प्रतिशत ही उपयोग के योग्य थे।

फलस्वरूप कम्पनी ने बोरों की गुणवत्ता की कोटि के अनुसार भुगतान नियंत्रित करने के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी किये (जून 2002)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन अनुदेशों का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि ये बोरे पूर्व में ही उपयोग में लिये जा चुके थे तथा विभिन्न प्रदाय कर्ताओं से प्रदायित बोरों के मिल जाने के

कारण, प्रदाय के स्रोतों को चिन्हित नहीं किया जा सका। यदि कम्पनी क्रय आदेश में अवमानक गुणवत्ता के लिये वसूली का वाक्यांश समाविष्ट कर देती तो शेष 90 प्रतिशत राशि से अतिरिक्त भुगतान को बचाया जा सकता था।

इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा आदिष्टानुसार कम्पनी ने प्रारम्भिक अवस्था में ही (बोरे) स्वीकार करने की आवश्यक शर्त का पालन न किये जाने के साथ ही क्रयादेश में उपयुक्त वाक्यांश शामिल करने एवं भुगतान विमुक्त करने से पूर्व बोरो का परीक्षण तथा ऐसे दोषपूर्ण क्रयादेश के विरुद्ध बोरो की प्राप्ति युग्म में विफलता के परिणामस्वरूप अवमानक किस्म स्वीकार की गई एवं परिणामतः 62.71 लाख रुपये का परिहार्य भुगतान हुआ। (परिशिष्ट-LIII)

प्रबन्धन ने बताया (जून 2003) कि बोरो की कमी के कारण बिना गुणवत्ता परीक्षण के ही उनका उपयोग कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त बोरो की गुणवत्ता का परीक्षण बोरो के चट्टे लगाने के बाद ही किया गया था (अर्थात् उनको धान से भरने के उपरान्त)।

उत्तर विश्वासप्रद नहीं था क्योंकि, 90 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रदाय किये गये बोरो की गुणवत्ता के निरीक्षण के उपरान्त ही किया जाना था। चूँकि कम्पनी के उनके उपयोग से पहले बोरो की गुणवत्ता सत्यापित करने में विफल रहने से अवमानक बोरे स्वीकार करने एवं सहमत दरों पर भुगतान करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2003) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2003)।

वन विभाग

छत्तीसगढ़ वन विकास निगम मर्यादित

6.2.2 स्वयं की निधियों के उपयोग में असफल रहने से परिहार्य व्यय

उच्च लागत ऋण के पुनर्भुगतान हेतु अतिरिक्त निधियाँ प्रयुक्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप 47.90 लाख रुपये का परिहार्य व्यय

तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने 1991-92 से वृक्ष सहकारिता योजना के माध्यम से पड़त भूमि का विकास हाथ में लिया था। इस योजना का कार्यन्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा था तथा मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित द्वारा, पाँच बैंकों⁵⁷

57

सेन्दल बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब और सिन्ध बैंक तथा केनरा बैंक

के सहायता संघ से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज वाले 25.22 करोड़ रुपये के ऋण की सहायता से निधियों की व्यवस्था की गई थी।

मध्यप्रदेश राज्य के विभाजन पर गठित (मई 2001) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) ने उक्त ऋण में से 11.59 करोड़ रुपये का दायित्व स्वीकार किया। कम्पनी द्वारा, सम्पूर्ण लम्बित ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया गया था (फरवरी-मार्च 2003)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया (जून 2003) कि कम्पनी द्वारा (2002-03), बहुविकल्प जमाओं में विभिन्न बैंकों⁵⁸ में 5.50 और 8.75 प्रतिशत के मध्य की वार्षिक ब्याज दर पर 7.37 करोड़ रुपये एवं 17.46 करोड़ रुपये का न्यूनतम शेष वर्ष भर (2002-03) रखा गया। कम्पनी इसी अवधि के दौरान ऋण पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करती रही। यदि कम्पनी ने ऋण के पुनर्भुगतान में निवेशित निधियों का उपयोग किया होता तो 47.90 लाख रुपये के ब्याज के अतिरिक्त भुगतान से बचा जा सकता था। अतः कम्पनी अपनी निधियों का उपयोग विवेक पूर्ण ढंग से करने में विफल रही, परिणाम स्वरूप, 47.90 लाख रुपये ब्याज का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2003) कि कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के खर्च की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निधियाँ जमा लेखाओं में रखी गयी थी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि (क) कम्पनी के 1.32 करोड़ रुपये की औसत मासिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरान्त भी वर्ष भर निवेश के रूप में 7.37 करोड़ रुपये का न्यूनतम शेष उपलब्ध था एवं (ख) कम्पनी ने सम्पूर्ण ऋण के पुनर्भुगतान पश्चात भी मार्च 2003 तक निवेश को जारी रखा था। इससे सिद्ध होता है कि कम्पनी के पास अतिरिक्त निधियाँ थी जिनका उच्च लागत ऋण के निर्वहन हेतु उपयोग विवेक पूर्ण नहीं किया गया।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2003) कि ऋण का पुनर्भुगतान, योजना से संभावित अर्जित वन प्राप्तियों से मार्च 2004 तक किया जाना था तथापि वन विभाग ने उपार्जनों को कम्पनी को प्रेषण नहीं किया था। किन्तु कम्पनी द्वारा, वन विभाग से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में 2001-02, 2002-03 तथा मार्च 2003 के दौरान क्रमशः 2.78 करोड़ रुपये, 4.41 करोड़ रुपये तथा शेष 4.40 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान किये गये और 76.69 लाख रुपये के ब्याज की बचत की। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि कम्पनी ने उपलब्ध शेष में से ऋण का पुनर्भुगतान एक वर्ष पूर्व कर दिया होता तो 47.90 लाख रुपये बचाये जा सकते थे।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम मर्यादित

6.2.3 जल की मांग निर्धारित करने में विफलता के कारण परिहार्य व्यय

पानी की मांग का निर्धारण किये बिना अनुबंध करने से 2.73 करोड़ रुपये का परिहार्य व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित (कम्पनी) का बोर्ड औद्योगिक विकास केन्द्र, जल प्रदाय व्यवस्थाएँ जैसे इनटेक वैल, राइजिंग मैन तथा 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता की पानी की टंकी जिसमें से 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन की माँग को पूरा करने के लिये पम्प, बिजली उपकरणों, अद्योसंरचना सुविधाओं (लागत 5.03 करोड़ रुपये) सहित 1989 से कार्यरत था।

उपलब्ध क्षमता की जानकारी के बाद भी कम्पनी ने, जलापूर्ति की आवश्यकता को निर्धारित किये बिना ही, राजनांदगाँव में केन्द्र की औद्योगिक इकाईयों को जल प्रदाय हेतु एक निजी कम्पनी रेडियस वाटर लिमिटेड से निविदा आधार पर निर्माण परिचालन, स्वामित्व और हस्तान्तरण (बी.ओ.ओ.टी.) के लिये अनुबन्ध किया (अक्टूबर 1998)। अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार रेडियस वाटर लिमिटेड को अपनी स्वयं की निधियों उपयोग कर 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता हेतु जल प्रदाय परियोजना को विकसित करना, निर्माण करना, अधिग्रहण करना, परिचालन तथा संधारण करना था।

अनुबन्ध की शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्तें थी, कि-

(क) रेडियस वाटर लिमिटेड विद्यमान इनटेक वैल के 96 मीटर अनुप्रवाह में एक ओव्हर फ्लो बॅराज का निर्माण, विद्यमान परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं संधारण करेगा,

(ख) रेडियस वाटर लिमिटेड द्वारा जल प्रदाय के परिचालन और संधारण की रियायत की अवधि परियोजना निर्माण अवधि के बाद बीस वर्ष होगी,

(ग) कम्पनी विद्यमान परिसम्पत्तियों (लागत 5.03 करोड़ रुपये) को रेडियस वाटर लिमिटेड को, एक रुपये प्रतिवर्ष, के प्रतीकात्मक फीस पर पट्टे पर देगी जो सम्पूर्ण रियायत अवधि के लिये प्रभावशील रहेगी, तथा

(घ) कम्पनी को पानी के न्यूनतम चार मिलियन लीटर प्रतिदिन हेतु भुगतान करना था। दूसरे शब्दों में चार मिलियन लीटर प्रतिदिन या वास्तविक खपत, जो भी अधिक हो, का भुगतान किया जाना था।

निर्माण, परिचालन, स्वामित्व एवं हस्तान्तरण अनुबन्ध के अन्तर्गत, जल प्रदाय दिसम्बर 2000 में चालू किया गया था।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ (जुलाई 2002) कि, दिसम्बर 2000 से जून 2002 के दौरान, विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा पानी की वास्तविक खपत केवल 1.90 मिलियन लीटर प्रतिदिन (अर्थात् 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन विद्यमान क्षमता से काफी कम) थी। रेडियस वाटर लिमिटेड को अतिरिक्त सुविधाएँ तभी निर्मित करनी थी जब 10 मिलियन लीटर प्रतिदिन से अधिक माँग हो तथा कम्पनी के पास 30 मिलियन लीटर प्रतिदिन तक की बढ़ी हुई माँग के लिये अद्योसंरचनात्मक सुविधायें पहले से ही उपलब्ध होने से निर्माण, परिचालन, स्वामित्व एवं हस्तान्तरण अनुबन्ध करने की आवश्यकता में सविवेक करार का अभाव था।

कम्पनी ने दिसम्बर 2000 से अगस्त 2003 के दौरान, न्यूनतम चार मिलियन लीटर प्रतिदिन हेतु 5.19 करोड़ रुपये के जल प्रभार (औसत 15.71 लाख रुपये प्रतिमाह) का भुगतान किया। तथापि वास्तविक खपत (1.90 मिलियन लीटर प्रतिदिन) के संदर्भ में देय प्रभार केवल 2.46 करोड़ रुपये ही संगणित होते हैं। इस प्रकार कम्पनी द्वारा बिना वास्तविक माँग का आंकलन किये चार मिलियन लीटर प्रतिदिन की न्यूनतम माँग के लिये भुगतान के लिये सहमत हो जाने के परिणाम स्वरूप 2.73 करोड़ रुपये (5.19 करोड़ रुपये - 2.46 करोड़ रुपये) का परिहार्य व्यय हुआ।

यद्यपि माँग में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, ऐसी परिस्थिति में विद्यमान सुविधाओं को, कम्पनी को (5.03 करोड़ रुपये में) एक रुपये प्रतिवर्ष की प्रतिकात्मक फीस पर पट्टे पर देकर, रेडियस वाटर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2002) कि निर्माण, परिचालन, स्वामित्व एवं हस्तान्तरण अनुबन्ध करके कम्पनी ने, मई 2002 के अंत तक 18 माह के दौरान (औसतन 2.21 लाख रुपये प्रतिमाह), परिचालन, संधारण और स्थापना लागत के 39.72 लाख रुपये की बचत की थी। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक इकाईयों को जल प्रदाय हेतु उनसे राजस्व की प्राप्ति भी होती रही थी।

उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि कम्पनी को यह बचत रेडियस वाटर लिमिटेड को जल प्रभार के भुगतान को 1.90 मिलियन लीटर प्रतिदिन की वास्तविक खपत तक सीमित कर ही की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा प्राप्त औसत मासिक राजस्व (12.45 लाख रुपये) भुगतान किये गये औसत मासिक जल प्रभार (15.71 लाख रुपये) से सदैव काफी कम रहा था।

इस प्रकार, अवास्तविक शर्तों पर अनुबन्ध करना कम्पनी के हितों के लिये हानिकारक था इसलिये न्याय-संगत नहीं था।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2003); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (नवम्बर 2003)।

6.2.4 अनियमित छूट प्रदान करना

कम्पनी द्वारा शासन के आदेशों की अवहेलना कर प्रीमियम में 59 लाख रुपये की छूट प्रदान की गई।

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रायपुर) मर्यादित दूसरा नाम छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम मर्यादित, रायपुर (कम्पनी), छत्तीसगढ़ में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये, रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने में संलग्न है।

तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार (अब छत्तीसगढ़ सरकार) ने बड़े पूँजी निवेश वाली भारी औद्योगिक इकाईयों को राज्य में आकर्षित करने की दृष्टि से आदेश जारी किये (जनवरी 1989), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये भूमि के प्रीमियम में 50 प्रतिशत रियायत की व्यवस्था थी। सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया (जुलाई 2001) कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित वे इकाईयाँ जो पूर्व में ही इस रियायत को ले चुकी थीं (औद्योगिक नीति और कार्य योजना 1994 के विशेष रियायत कार्यक्रम, के अंतर्गत) पुनः किसी भी तरह की रियायत के लिये पात्र नहीं थे।

कम्पनी ने प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, चाँपा (इकाई) को विद्यमान औद्योगिक इकाई (स्पॉज आयरन इण्डस्ट्री) के विस्तार हेतु 77.05 एकड़ भूमि आवंटित की (दिसम्बर 2002) और ऐसी आवंटित भूमि के प्रीमियम में 59 लाख रुपये (50 प्रतिशत) की रियायत दी, यद्यपि इकाई स्थापना के समय ही रियायत का लाभ ले चुकी थी।

अतः कम्पनी द्वारा सरकार के विशिष्ट आदेशों का उल्लंघन कर इकाई के प्रति अनुचित पक्षपात के तुल्य अनियमित रियायत प्रदान करने के परिणामस्वरूप 59 लाख रुपये की राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (अप्रैल 2003) कि इकाई को रियायत शासन के जनवरी 1989 के आदेशों की कंडिका 5-जी.ए. के अनुसार दी गई थी जिसके अनुसार इकाई को अपने विस्तार पर भी रियायत की प्राप्ति थी।

उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सरकार के मई 1995 में जारी अनुवर्ती आदेशों के अन्तर्गत रियायत केवल नई इकाईयों के लिये ही उपलब्ध थी तथा किसी भी विद्यमान इकाई के विस्तार के लिये नहीं थी।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2003); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2003)।

सांविधिक निगम

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल

6.2.5 इलेक्ट्रॉनिक विद्युत मीटरों की प्राप्ति के लिये निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब

निविदाओं को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण 1.90 करोड़ रुपये की हानि

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने निर्णय लिया (दिसम्बर 2000) कि मीटरों की तुरंत आवश्यकता की पूर्ति हेतु हाल ही में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा जारी क्रयादेशों का विस्तार कर मीटर खरीदे जा सकते थे। तत्पश्चात् मंडल ने, समय-समय पर आवश्यकतानुसार मीटरों की प्राप्ति के लिये खुली निविदा जारी करने का निर्णय लिया। 30 जून 2001 के बाद कोई भी विस्तार क्रय आदेश जारी नहीं किये जाने थे।

तदनुसार मंडल द्वारा (टी.एस.-30), 3,72,500 सिंगल फेज मीटरों तथा 30,500 थ्री फेज मीटरों की प्राप्ति हेतु अपनी निविदा विशिष्टताएं (टी.एस.-30), जारी कीं। निविदा मई 2002 में खोली जानी थी।

तथापि, अपनी निविदा को अंतिम रूप दिये बिना ही, मंडल ने 690 रुपये प्रति मीटर की दर से, एक लाख सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की प्राप्ति हेतु मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के टी.एस.-2416 की तीन विस्तार आदेश जारी किये। 30 दिन के अंदर सभी मीटर प्राप्त हो गये थे तथा भुगतान भी कर दिया गया था।

बाद में, आठ माह के विलम्ब के उपरान्त मंडल ने अपने टी.एस.-30 को अंतिम रूप दिया (फरवरी/मार्च 2003) जिसमें बॉक्स तथा अन्य प्रभारों सहित सिंगल फेज मीटर की दर 499.50 रुपये के विस्तार आदेश टी.एस.-2416 की दर से 190 रुपये (690 रुपये - 499.50 रुपये) कम थी। तत्पश्चात् 2,72,000 सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटरों की प्राप्ति हेतु, विभिन्न फर्मों को चार क्रयादेश दिये गये थे।

अतः मंडल द्वारा अपने दिसम्बर 2000 के निर्णय में विचलन कर टी.एस.-2416 के अंतर्गत अगस्त 2002 में, एक लाख सिंगल फेज इलेक्ट्रॉनिक मीटरों हेतु विस्तार आदेश जारी करने तथा टी.एस.30 को अंतिम रूप दिये जाने में विलम्ब के परिणाम स्वरूप 1.90 करोड़ रुपये की हानि हुई।

मंडल ने बताया (अप्रैल 2003) कि प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब हुआ। मंडल का उत्तर इस तथ्य के आधार पर मान्य नहीं है कि यदि मंडल द्वारा अपनी निविदा को समय पर अंतिम रूप देकर तदनुसार क्रय आदेश दिये गये होते तो 1.90 करोड़ रुपये की हानि से बचा जा सकता था।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2003) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2003)।

6.2.6 समान उपकरणों की प्राप्ति के लिये उच्च दरें स्वीकार करने के कारण परिहार्य व्यय

समान उपकरणों के लिये स्वीकार्य दरों में भिन्नता के परिणाम स्वरूप 1.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा क्रमशः 8.05 करोड़ रुपये एवं 4.56 करोड़ रुपये की कुल लागत से "टर्न की" आधार पर राजिम, मुंगेली और सक्ती में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण हेतु तीन आशय पत्र अर्थात् दो ई.एम.सी.ओ. लिमिटेड, थाणे (नवम्बर 2001 एवं जून 2002) तथा एक एशिया ब्राउन बोवेरी लिमिटेड, बड़ोदरा (अप्रैल 2002) को जारी किये गये। आशय पत्र के अनुसार उक्त तीनों स्थानों पर किये जाने वाले कार्यों का क्षेत्र समान प्रकृति का था। उपरोक्त उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये संरचना तथा उपकरण प्रदाय हेतु विस्तृत क्रयादेश ई.एम.सी.ओ. लिमिटेड (जनवरी और जुलाई 2002) तथा ए.बी.बी.एल. (मई 2002) को दिये गये थे।

तीनों उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये न्यूनतम निविदा दर तथा जिनको कार्यादेश दिये गये थे उनकी स्वीकार्य दरों की तुलना करने पर पाया गया कि समान प्रमुख उपकरणों की दरों में बहुत बड़ा अंतर था। इसके परिणाम स्वरूप 1.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंडल ने बताया (जून 2003) कि चूँकि कार्य "टर्न की" आधार पर दिया गया था, केवल प्रस्तुत कुल दरों की तुलना की गई थी और पृथक मद-वार दरों की तुलना नहीं की गई थी। मंडल ने यह भी बताया कि उपकेन्द्रों की लागत में अंतर सन्निहित, कार्य की मात्रा तथा कार्य स्थल की स्थितियों आदि के कारण था।

प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के आधार पर मान्य नहीं है कि सभी उपकेन्द्रों के सम्बन्ध में उपकरणों की दरें ठेका सौंपे जाने से पूर्व ही ज्ञात थीं। परिणामतः निविदा की न्यूनतम स्वीकृत दरों के लिए समझौता वार्ता करनी चाहिए थी और अन्य निविदाकारों के विरुद्ध दी गई दरों को कम प्राप्त करना था। इसके अलावा राजिम तथा मुंगेली में जहाँ एक ही ठेकेदार को 132/33 के.व्ही.बेज एवं केपेसिटर बैंक्स को समान संख्या का कार्य दिया गया था मुंगेली के लिये स्वीकृत दर 25 लाख रुपये अधिक थी। इस प्रकार दरों के बारे में समझौता वार्ता करने में मंडल की विफलता के परिणाम स्वरूप 1.40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2003) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2003)।

6.2.7 उपकरण खरीदी की उच्च दरें स्वीकार करने के कारण हानि

उच्च दरें स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप 51 लाख रुपये का अतिरिक्त व्यय

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल ने क्रमशः 4.33 करोड़ रुपये तथा 3.22 करोड़ रुपये की कुल लागत से डोंगरगढ़ और कांकेर में "टर्न की" आधार पर दो नये 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु क्राम्पटन ग्रीबज लिमिटेड, चेन्नई और एशिया ब्राउन बोवेरी लिमिटेड बड़ोदरा को एक साथ दो आशय पत्र अगस्त 2001 में जारी किये। आशय-पत्र के अनुसार दोनों ही स्थानों पर किये जाने वाले कार्य का क्षेत्र समान प्रकृति का था। डोंगरगढ़ और कांकेर के उपकेन्द्रों के लिये सामग्री प्रदाय, निर्माण परीक्षण और स्थापित करने के लिये क्राम्पटन ग्रीबज लिमिटेड तथा एशिया ब्राउन बोवेरी लिमिटेड को, अक्टूबर 2001 में, विस्तृत क्रयादेश दिये गये थे।

उक्त उपकेन्द्रों के निर्माण के लिये स्वीकृत दरों की तुलना करने पर पाया गया कि समान प्रमुख उपकरणों की दरें कांकेर की तुलना में डोंगरगढ़ में उच्च थीं। उच्च दरें स्वीकार करने और बाद में डोंगरगढ़ में नये उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य क्राम्पटन ग्रीबज लिमिटेड को सौंपने के परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर 1.11 करोड़ रुपये (4.33 करोड़ रुपये - 3.22 करोड़ रुपये) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मंडल ने बताया (जून 2003) कि डोंगरगढ़ उप केन्द्र में 132 के.व्ही.बेज के लिये आवश्यक उपकरण की मात्राओं में अंतर के कारण कुल ठेका दर में अंतर था।

मंडल का उत्तर इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में मान्य नहीं है कि डोंगरगढ़ के लिये आवश्यक अतिरिक्त उपकरणों पर की गई 60.49 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत जोड़ने के बाद डोंगरगढ़ उपकेन्द्र के निर्माण पर 51 लाख रुपये (1.11 करोड़ रुपये - 0.60 करोड़ रुपये) अतिरिक्त व्यय संगणित हुआ।

प्रकरण सरकार को सूचित किया गया था (अगस्त 2003) ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2003)।